

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3488

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया पहल का प्रभाव

3488. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मेक इन इंडिया पहल ने तमिलनाडु के उद्योगों को प्रभावित किया है;
- (ख) क्या तमिलनाडु और विशेष रूप से कडलूर में मेक इन इंडिया के अंतर्गत कोई निवेश किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या तमिलनाडु और विशेष रूप से कडलूर में मेक इन इंडिया से किसी प्रमुख क्षेत्र को लाभ हो रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) : 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य, निवेश में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। यह अपनी तरह की एक विशिष्ट "वोकल फॉर लोकल" पहल है, जिसने विश्व के समक्ष भारत के विनिर्माण क्षेत्र का प्रचार-प्रसार किया है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश हेतु संपर्क किया जा रहा है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों में कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर फोकस करता है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची अनुबंध में दी गई है।

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं। मंत्रालयों द्वारा अपने मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार की जाती हैं, जबकि राज्यों के पास भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्कीमें हैं।

भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है, जो भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। पीएलआई स्कीमों की घोषणा से, अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक वृद्धि और निर्यात में अत्यधिक सुधार होने की उम्मीद है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सहित देशभर से 14 क्षेत्रों से संबंधित 764 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। पीएलआई स्कीमों के तहत 14 क्षेत्रों में स्थापित 1305 विनिर्माण इकाइयों में से 109 विनिर्माण इकाइयां तमिलनाडु में स्थापित की गई हैं।

अक्तूबर 2019 से सितंबर 2024 के दौरान, निवेश के संबंध में देश में 12.56 बिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के साथ यह राज्य पांचवें स्थान पर है।

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3488 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

- i. एरोस्पेस और रक्षा
- ii. ऑटोमोटिव और ऑटो पुर्जे
- iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
- iv. जैव-प्रौद्योगिकी
- v. पूंजीगत वस्तुएं
- vi. वस्त्र और परिधान
- vii. रसायन और पेट्रो रसायन
- viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
- ix. चमड़ा और फुटवियर
- x. खाद्य प्रसंस्करण
- xi. रत्न और आभूषण
- xii. शिपिंग
- xiii. रेलवे
- xiv. निर्माण
- xv. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

- i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
- ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
- iii. मेडिकल वैल्यू ट्रेवल
- iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
- v. लेखांकन और वित्त सेवाएं
- vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
- vii. विधायी सेवाएं
- viii. संचार सेवाएं
- ix. निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
- x. पर्यावरण संबंधी सेवाएं
- xi. वित्तीय सेवाएं
- xii. शिक्षा संबंधी सेवाएं
